THE TIMES OF INDIA

Date: 25-07-16

India's reverse Brexit:

GST will create million of formal jobs

Imagine a warehouse of more than one crore square feet in Central India - around five times the size of the largest football stadium in the have an eight lane high world. It would have an eight lane highway that is connected to all four corners of the country on one side. It would have one of India's largest railway container terminals for handling enormous goods trains on another side. It would have an all-cargo airport terminal operated by a partner on another side. And on the fourth side would be a cluster of manufacturers supplying the warehouse in real time based on big data analytics of national demand and inventory for their products. This warehouse is not even on the radar today but can become a reality with the GST Bill. Passing the GST Bill - India's reverse moment that will end state-by-state rules and create a national market for goods to be supplied from anywhere to anywhere - will create millions of formal jobs. Currently , supply chains for e-commerce companies are not optimised but distorted by regulatory cholesterol that prevents us from offering customers the lowest cost or fastest delivery . We are unable to supply goods worth more than Rs 5,000 to UP because our customers have to go to a tax office and complete paperwork. We are unable to keep goods from our 90,000 suppliers in our warehouses across Karnataka due to double taxation. We often face confiscation of goods and cash in Kerala because of their approach to tax domicile, which conflicts with supplying states. With GST, all of this will be history . A seamless national supply chain that is agnostic to supply or demand destination is urgent,

important and overdue for three reasons. First, it is India's development trajectory to reduce poverty . Second, it will improve enterprise productivity . Finally , it is about empowering consumers and producers. We need to evolve very differently from China as we do not have the same global manufacturing and trade opportunity China had in 1978. Plus, democracy imposed some very desirable but real fixed costs on infrastructure building and growth. Harvard professor Ricardo Hausmann suggests that the best predictor of sustained prosperity is "economic complexity" and India's economically complex economy is a great opening balance for building on domestic consumption growth to reduce poverty. Essentially, instead of the traditional formula of large manufacturing, exports and large enterprises, i think India's destiny lies in services, domestic consumption and small and medium enterprises. The second point of enterprise productivity is important because poverty can be eliminated by improving productivity . We are thinking hard about individual productivity like skills and education, but we must recognise that India's problem is not jobs but wages.Our official unemployment rate of 4.2% is not fudged. Everybody who wants a job has one, just not at the wages they want. India's enterprise stack is largely informal, unproductive and built on self-exploitation. Of our 63 million enterprises 12 million don't have an office, 12 million work from home, only 8.5 million pay taxes, only 1.5 million pay social security, and most tragically, only 18,000 have a paid-up capital of more than Rs 10 crore. Drying this swamp is key . The US economy is nine times our size but only has 22 million enterprises. Ninety per cent of informally (this is the same number as 1991 and means that 100% of net jobs in the last 20 years have been created in informal enterprises).Many factors go into enterprise productivity but the main one is market access: connecting with buyers. The final point is about consumer and producer empowerment. The majority of India's 600-million-strong transacting consumers do not have access to quality products at affordable rates. Similarly, lakhs of producers are denied market access. Because of geographical constraints and artificial restrictions placed by the current tax regime, quality products are expensive and affordable products suffer from poor quality. Here technology can come to the rescue post-GST. The `India stack' framework for transactions (paperless, presenceless and cashless) is being first applied magnificently to finance but has

huge implications for production and consumption once GST is passed. An unintended consequence of implementing the India stack across supply chains will be big data analytics for government that will not only improve compliance but greatly expand formal economic activity and create a virtuous cycle for credit, employment and wage rises. One of the most remarkable books about India is The Integration of Indian States by V P Menon. It describes wonderfully how the 562 maharajas that administered more than 40% of India's land and 25% of our population in 1947 were brought into the Indian state by 1951 in a project led by Sardar Patel, which secured the political unity of India. Passing GST will have similar impact on our economic unity . It will be a gift to first-generation entrepreneurs who don't have connections or money but just the courage of their hearts, the sweat of their brow and the strength of their back. Coming soon after Brexit - the UK's economically baffling decision to leave the - passing GST would also signal to the world that India's economic ambitions have new rocket fuel. India's regulatory cholesterol has been hostile to small entrepreneurs.GST rights that wrong and makes a new appointment with India's missed tryst with destiny. This is one that she must keep.

Date: 25-07-16

Pachees Saal Baad:

India has taken off after reforms but growth remains beset by a missing middle

August 1947 may have been the month India became independent but July 1991 was when it was truly transformed. Indians today are reaping the benefits of momentous reform decisions taken that month by the P V Narasimha Rao–Manmohan Singh duo. In the 25 years since, India has shaken off the moniker of being bound by an allegedly “Hindu” rate of growth and risen to be a force to reckon with in the world. Its per capita income has quintupled and India is now the world’s third largest

economy in purchasing power parity terms. Gains in poverty reduction have been the fastest ever the country has experienced.

But a lot more remains to be done if the country is to make its "tryst with destiny". The country is notoriously slow to reform as its political class has convinced itself that anything but the most glacial pace will accept the electoral apple cart. GST is a case in point – although it will unify the country into a common market, it has been hanging fire for more than a decade. Our product markets have been reformed, but the same cannot be said for labour, land and to some extent capital markets. India still ranks 130th among 189 countries in ease of doing business, trailing countries it wants to compete with by a wide margin. New projects require between 90 and 140 permissions to go ahead.

All of these contribute to the "missing middle" of India's economy: its services sector may have taken off, but manufacturing has been slow to grow. That explains India's poor quality of growth. With farmers and their children unable to move to factories for employment, 60% of India's population remains stuck in the villages which produce only 14% of India's income. Some say we can leapfrog manufacturing into services, but that requires an educational revolution. However, education remains hamstrung by a lack of reform as the licence raj mentality still reigns supreme there.

The current NDA government has adopted a gradualist course of reform when the previous NDA government headed by Atal Bihari Vajpayee had been bolder. Prime Minister Narendra Modi promised "minimum government, maximum governance" in the run-up to 2014 Lok Sabha polls, we have seen little of that in practice. But it is a worthy goal to strive towards: given government's stretched resources it must prioritise and focus on a few essential tasks, and do them well. Else we may require another 1991-like crisis to push us into reform

THE ECONOMIC TIMES

Date: 25-07-16

Why Dalit protest is a sign of social progess

We welcome the widespread protests staged by Dalits in Gujarat to protest against the violent assault on four members of their community by self-appointed cow protectors. In some towns of Saurashtra, where the incident occurred a fortnight ago, some protesters have made the issue of cow protection just the spark that has lit something far bigger, louder and, in terms of traditional caste-based inequity, more disruptive. Protest has been sustained and widespread enough to draw in political leaders and the national media. This marks a gain for Indian democracy, in general, and for Dalits, in particular. It also could mark a tipping point in India's caste politics.

A constant dynamic of Indian politics is the imperative to move society forward from its traditional hierarchical order to one of democratic equality as envisioned in the Constitution. Political parties confront this tension routinely, and buckle under, more often than not. When a khap panchayat issues an edict that conforms to and reinforces traditional values of gender/group inequality and, at the same time, violates basic individual rights guaranteed by the Constitution, politicians find it expedient to honour the khap rather than defend the rights that have been violated. Thus, custom and conservative social power have kept Dalits at the bottom of the social hierarchy in most parts of the country, especially where their numbers are small, reducing their electoral clout. Persistence of social exclusion and unjust treatment has bred resentment and protests, such as conversion to other religions. The telecom revolution and the spread of social media among low-income groups have helped convert simmering resentment into active protest, after video footage of four Dalits being beaten with rods went viral.

The protests will likely change the status quo permanently. That is a welcome change even if they have come about because of age-old bigotry. Dalit resentment and assertion will make themselves felt across the country, and probably help the Bahujan Samaj Party in Uttar Pradesh. Regardless of the impact on parties, it is advantage Dalits.

दैनिक जागरण

Date: 25-07-16

समान कानून पर हीला-हवाली

अजीब बात है कि जब हिंदू मंदिरों, रीतियों पर शिकायत आती है तब हमारे शासक और न्यायाधीश भी खुदमुख्तार बन बैठते हैं। कभी 'विस्तृत विचार-विमर्श' या ज्ञानियों से जानने-समझने की जरूरत नहीं समझते। अभी हाल में शनि मंदिर में स्त्री-प्रवेश प्रसंग पर यह देखा गया। लेकिन जब इस्लामी मामलों की शिकायत आए तो आगा-पीछा, टाल-मटोल का अंत नहीं रहता। यहां तक कि जो चीज सीधा अन्याय और अमानवीय है, समानता के संवैधानिक सिद्धांत के विरुद्ध है तथा कई मुस्लिम देशों तक में वर्जित है उस पर भी रोक लगाने में हीला-हवाली करते हैं। इससे न्यायपालिका की निष्पक्षता नहीं दिखती। विचार-विमर्श तो असंख्य बार हो चुका है।

एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 84 प्रतिशत लोग समान नागरिक संहिता के पक्ष में हैं। इनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं और पुरुष भी हैं। केवल कुछ मुस्लिम नेता और मजहबी संगठन इसका विरोध करते हैं। भारत में समान नागरिक कानून हो, यह संविधान सभा से लेकर सुप्रीम कोर्ट के अनेक फैसलों में भी कहा जा चुका है। संविधान में समान नागरिक संहिता बनाने का बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है। इससे अलग यह तथ्य भी है कि दुनिया के किसी सभ्य देश में दो प्रकार के नागरिक कानून नहीं हैं। धार्मिक अल्पसंख्यक भारत ही नहीं, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, अरब और चीन में भी हैं। कहीं किसी समुदाय को अपने अलग मजहबी कानून की इजाजत नहीं है। सिर्फ भारत में यह भेद-भाव रखकर राष्ट्रीय एकता की प्रक्रिया रोके रखी गई है।1सरला मुदगल मामले (1995) में सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था, 'विभाजन के बाद जिन्होंने भारत में रहना चुना वे बखूबी जानते थे कि भारतीय नेता दो-राष्ट्र, तीन-राष्ट्र के सिद्धांत नहीं मानते थे और भारतीय गणतंत्र में एक ही राष्ट्र रहेगा। मजहब के नाम पर कोई समुदाय अपना अलग कायदा चलाने का दावा नहीं कर सकता।

चूंकि पर्सनल लॉ की उत्पत्ति विधायी उपायों से हुई थी इसलिए उसे एक समान नागरिक संहिता बनाकर खत्म या संतुलित किया जा सकता है।' उसी में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला दिया था कि विवाह, संपत्ति का उत्तराधिकार आदि मामले धार्मिक स्वतंत्रता के तहत नहीं आते, बल्कि कोर्ट ने जोर देकर रेखांकित किया था कि भारत में 'मुस्लिम पर्सनल लॉ का जन्म मजहब से नहीं, बल्कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के बनाए कानून से हुआ था।' 1791 में यहां वह कानून आया जिसके अनुसार शादी, तलाक तथा संपत्ति विरासत के मामलों में मुसलमान और हिंदूू अपने-अपने धार्मिक चलन से अलग-अलग चल सकते थे। 1832 में ब्रिटिश सरकार ने आपराधिक मामलों में मुस्लिम लॉ को खत्म कर एक समान अंग्रेजी कानून लागू कर दिया। इससे साफ है कि इस्लामी शरीयत अनुल्लंघनीय नहीं है। इसी कारण भारत में मुस्लिम अपराधियों को हाथ काटने, पत्थर मार-मार कर जान लेने, कोड़े लगाने जैसे दंड नहीं मिलते, जैसा शरीयत कहता है, बल्कि हिंदू अपराधियों वाली सजाएं ही मिलती हैं। मगर सिविल मामलों में, शादी, तलाक या संपत्ति के मामलों में हिंदुओं और मुसलमानों को अलग-अलग कर के ब्रिटिश शासकों ने सचेत रूप से फूट और अलगाव को बढ़ावा दिया था। उसका इस्तेमाल भी किया था। उसी नीति को स्वतंत्र भारत में भी कई शासकों ने खुले-छिपे

इस्तेमाल किया। इस घातक गलती को ठीक करने के बजाए 'विचार-विमर्श' की बात भगोड़ापन है।

सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं, कम से कम तीन बार और समान नागरिक संहिता बनाने को कह चुका है। दो मामले चर्चित भी हुए थे। जोरेन दियेनगेध बनाम एसएस चोपड़ा (1985) तथा मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम (1985)। शाहबानो मामले में मुख्य न्यायाधीश वाईवी चंद्रचूड़ ने फैसले में लिखा, 'धार्मिक स्वतंत्रता हमारी संस्कृति की नींव है। लेकिन जो धार्मिक रीति मनुष्य की मर्यादा, मानव अधिकार का उल्लंघन करती हो वह स्वतंत्रता नहीं, उत्पीड़न है। इसलिए उत्पीड़ितों की रक्षा और राष्ट्रीय एकता के विकास के लिए एक समान नागरिक संहिता परम आवश्यक है।' अत: उतने स्पष्ट, सुचिंतित फैसले के बाद अब नए सिरे से किस 'विमर्श' की जरूरत हो रही है? यह सब सीधा टाल-मटोल और टाइम-पास लगता है।

अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इस रवैये के पीछे समुदायों में समानता व भाईचारा बढ़ाने की नहीं, वरन उसे तरह-तरह से बांटे रखकर वोट-बैंक राजनीति चलाने की मंशा रही है। कांग्रेसी और वामपंथी कई अर्थो में उसी नीति पर चलते रहे, जिस पर अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने विभिन्न समुदायों के लिए अलग निर्वाचक मंडल, अलग पर्सनल लॉ, अलग अनुसूची, आरक्षण, आदि आविष्कार भारतवासियों में फूट, लोभ और ईष्र्या पैदा करने के लिए किया था। उसी नीति का प्रयोग देशी शासक स्वतंत्र भारत में भी कर रहे हैं। अन्यथा जिस पर संविधान का निर्देश स्पष्ट हो, जिसे भारत की 84 प्रतिशत जनता का समर्थन प्राप्त हो उसे न लागू करने के पीछे और क्या कारण है? यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा है कि भारत को सभी नागरिकों के लिए परिवार संबंधी एक समान सेक्युलर कानून बनाना चाहिए।

यहां इस्लामी पर्सनल लॉ केवल मुस्लिम औरतों के अमानवीय शोषण को जारी रखने एवं मुसलमानों को हंिदूुओं से दूर तथा अलग रखने के काम आता है। इसे खत्म किए बिना उन्हें मुख्यधारा में लाना और सहज रूप से विकसित होना रुका ही रहेगा। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नोट किया है कि सामुदायिक भेद-भाव चलते रहने से एक समुदाय को अपने प्रति अन्याय और दूसरे को अपने उच्चाधिकार, विशेषाधिकार का घमंड का बोध होता रहता है। तब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के ही शब्दों में, 'जब अन्याय बिल्कुल स्पष्ट हो तो वह संवेदनशील लोगों की सहनशक्ति से बाहर हो जाता है।' इस चेतावनी को भुलाना और टाल-

मटोल करना अन्याय और असंतोष को बढ़ावा देना है। हर हाल में कोई भी अन्याय जारी रहना शासन और न्याय-व्यवस्था के लिए लज्जास्पद है। एक भारत में दो कानून, तीन तलाक और चार बीवियों का चलन खत्म होना ही चाहिए। खुद मुस्लिम महिलाओं को इससे सर्वाधिक सुख होगा। हिंदूुओं को नहीं। हिंदूुओं का हित समान नागरिक संहिता से जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि संविधान की धारा 25-31 को सब के लिए समान रूप से लागू करने से जुड़ा है।

[लेखक एस. शंकर, राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक रहे हैं]

दैनिक भास्कर

Date: 25-07-16

क्या स्नेह और आभार की डायरी बनाई है आपने?

डॉ. पुलकित शर्मा

लोग प्रेम न मिलने के कारण अवसाद में डूब जाते हैं। किंतु वास्तव में बचपन लेकर जिंदगी भर हमें लोगों से प्रेम मिलता है पर हम उसे याद नहीं रखते। किंतु किसी ने ठुकराया हो तो जिंदगी भर याद रहता है। फिर असहमति से उपजा क्रोध भी हमें लोगों का प्रेम भुला देता है। वास्तव में हमारा गलत नज़रिया जीवन में प्रेम को आने नहीं देता।

जब भगवान राम शबरी के पास गए तो उसने उन्हें अपने चखे हुए मीठे बेर दिए। कई वर्षों से शबरी की यही दिनचर्या थी- सुबह उठकर भगवान की आराधना करना, अपने आश्रम को फूलों से सजाना और चखकर मीठे फल रखना ताकि जब भी भगवान पधारे तो वह उनका स्वागत कर सके। लक्ष्मण यह देखकर चौंक गए कि शबरी अपने झूठे बेर भगवान को कैसे

अर्पित कर सकती है। भगवान राम ने उनसे कहा कि शबरी ने जो किया भक्ति भावना से किया और इसलिए वे बेर उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगे। उन्होंने शबरी के प्रेम और भक्ति को समझा और ग्रहण किया, लेकिन वहीं लक्ष्मण उससे वंचित रह गए।

आजकल के युवा प्यार न मिलने की वजह से क्रोधित और अवसाद ग्रस्त हो जाते हैं। या तो वे प्रतिशोध लेने की सोचते हैं या आत्महत्या के बारे में सोचते हैं। किंतु अगर वे जीवन की कहानी के पन्ने खोलेंगे तो उन्हें दिखाई देगा कि वे अपनी सोच की वजह से प्रेम से वंचित रह जाते हैं। मुझे कई लोग अपनी दु:ख भरी कहानी सुनाते हैं कि उन्होंने जिसका प्रेम और स्नेह चाहिए था, नहीं मिला इसलिए वो अवसाद में डूबे हुए हैं। वे बार-बार कहते हैं कि उन्हें कभी किसी ने प्यार किया ही नहीं। किंतु यह बात सच नहीं है। लोगों का गलत नज़रिया उनके जीवन में प्रेम को आने ही नहीं देता।

सबसे पहले तो हमें जीवन में जो भी मिलता है हम उसके लिए आभारी नहीं होते और जो नहीं मिलता है उसी को सदैव याद रखते हैं। आपको बचपन से लेकर अब तक कई लोगों ने स्नेह और सहारा दिया होगा, लेकिन आपको इसका स्मरण नहीं होगा। आपको बस वे गिने-चुने लोग याद होंगे, जिन्होंने आपको ठुकरा दिया होगा। इस आदत की वजह से जीवन में प्रेम प्राप्त करते हुए भी हम प्रेम से वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप एक आभार की डायरी लिखें। जब भी आपको कोई स्नेह दे तो उसे इसमें दर्ज कर लें। जब आप दु:खी हों रहे हों और लगे कि आपके साथ कोई नहीं है तो इस डायरी को पढ़ें ताकि आपको सत्य दिखाई दे। क्रोध की वजह से भी जो स्नेह हमें मिल रहा होता है, उसे देख नहीं पाते। हर एक रिश्ते में मतभेद तय है, क्योंकि हर व्यक्ति दूसरों से भिन्न होता है। जब कोई हमारे जैसा नहीं सोचता तो हम क्रोधित हो जाते हैं। हमें लगता है कि दूसरा व्यक्ति हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। ऐसे में हम उसके दिए हुए सारे स्नेह को पलभर में भूल जाते हैं। हमारे मन में कड़वाहट भर जाती है। क्या अलग-अलग दृष्टिकोण रखने वाले लोग अटूट प्रेम के बंधन में बंधे नहीं रह सकते? ऐसा तभी संभव होगा जब आप अहंकार त्याग देंगे। रिश्तों में से 'मैं को निकाल दीजिए और 'हम' के बारे में सोचिए। जहां 'मैं' में बहुत अकेलापन है, वहीं 'हम' में बहुत साथ है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप से स्नेह करें। इसका अर्थ अभिमानी होना नहीं है। इसका अर्थ है कि आप अपने आपको ईश्वर का अंश समझें और जो भी गुण आपको ईश्वर ने दिए हैं उनके लिए आभारी रहें। भरोसा रखें कि ईश्वर की कृपादृष्टि आपके पर हमेशा है। जो दु:ख जीवन में आते हैं उनका काम हमें प्रेरित करना है

कि हम उनका सामना करते हुए मंजिल की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो आइए अपने अभिमान के ताला तोड़ दें, मन के बंद दरवाजे खोल दें और चेतना में रहकर जो प्यार हमारे पास है उसे समेट लें।

डॉ. पुलकित शर्मा

देश में आर्थिक सुधारों के 25 साल पूरे

1991 में दिवालिया होने के कगार पर थे आज दुनिया के विकास का इंजन हैं हम

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

भारत में आर्थिक उदारीकरण के 25 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान भारत दिवालिया होने के कगार से उठकर आर्थिक शक्ति बना है। तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने 24 जुलाई 1991 को पेश बजट में इकोनॉमी को निजी क्षेत्र के लिए पूरी तरह खोलने का फैसला किया। हालांकि राजीव गांधी और चंद्रशेखर की सरकार में भी सुधार के छोटे कदम उठाए गए, लेकिन वे नाकाफी साबित हुए। सरकारी घाटा और महंगाई काफी बढ़ गई थी। 1990-91 में केंद्र सरकार का घाटा 8.4% और केंद्र-राज्य दोनों का 12.7% तक पहुंच गया था। विदेशी मुद्रा भंडार एक अरब डॉलर से भी कम रह गया था। तब आईएमएफ से और कर्ज लेने के लिए 67 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था। अब हमारे पास 557 टन यानी दुनिया का 10वां सबसे बड़ा सोने का भंडार है। आर्थिक सुधार के बहुत से कदम आईएमएफ की कड़ी शर्तों के नतीजे थे, फिर भी इसकी बदौलत हमने कई मुकाम हासिल किए हैं। 1991 में हम तीसरी दुनिया में गिने जाते थे। लेकिन अब भारत दुनिया का विकास इंजन बन गया है। तब जी-77 में शुमार भारत अब दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के समूह जी-20 का सदस्य है। परचेजिंग पावर या खरीदने की क्षमता के लिहाज से चीन और अमेरिका के बाद हम तीसरे नंबर पर हैं।

1970 के दशक में 7 बजट तैयार करने में मदद करने वाले मनमोहन सिंह ने खुद 1991-92 का बजट पेश किया। बजट भाषण के समापन में उन्होंने कहा- 'दुनिया हमारी आवाज साफ-साफ सुन ले। भारत अब जाग गया है। हम आगे बढ़ेंगे। हम जीतेंगे।'

इन फैसलों ने बदली इकोनॉमी की तस्वीर

- सरकारी घाटा कम करने के लिए निर्यात सब्सिडी और सरकारी खर्चे में कमी। उर्वरक और पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए।
- सरकारी कंपनियों को फैसले लेने में ज्यादा छूट। उनका एकाधिकार भी खत्म।
- लाइसेंस और इंस्पेक्टर राज खत्म किया गया। सिर्फ संवेदनशील 18 उद्योगों में लाइसेंसिंग की जरूरत रखी गई।
- कई सेक्टरों में विदेशी निवेश के लिए ऑटोमेटिक अप्रूवल का तरीका अपनाया गया। विदेशी तकनीक लाना भी आसान।
- निर्यात बढ़ाने के लिए रुपए की कीमत 20% घटाई। निर्यात के नियम भी आसान।
- निवेश बढ़ाने और इंडस्ट्री को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए नियम बनाए गए।
- बैंकिंग सिस्टम और टैक्स ढांचे में बदलाव।

जीडीपी 12.5 गुना बढ़ गई

	1991	2016
जीडीपी (लाख करोड़ रु.)	10.8	135
जीडीपी ग्रोथ रेट	1.1%	7.6%
जीडीपी में कृषि	23%	14%
जीडीपी में सर्विसेज	42.5%	60%
जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग	16.4%	16.2%
प्रति व्यक्ति जीडीपी (रुपए)	7,000	98,983
निर्यात (अरब डॉलर)	18	262
घरेलू बचत (जीडीपी का)	22.9%	33%

सेंसेक्स 27,803
1,485 (24 जुलाई 1991)

बीएसई मार्केट कैप
10684946 करोड़ रुपए
3.65 लाख करोड़ रु (अप्रैल 1994)

	1991	2016
डॉलर (रुपए)	25.72	67.08
विदेशी मुद्रा भंडार (करोड़ रु.)	2,500	24 लाख
पेट्रोल	14.62 रु/ली.	62.51 रु/ली.
क्रूड	20 डॉलर/बैरल	46 डॉलर/बैरल
कार बिक्री	1.8 लाख	27 लाख
सड़कें	20 लाख किमी	48 लाख किमी
मध्यवर्ग परिवार	5.88 करोड़	7.6 करोड़
फोन/मोबाइल ग्राहक	5 लाख	100 करोड़
खुदरा महंगाई	13.76%	5.77%
होम लोन पर ब्याज	18.5%	9.3%
बचत खाते पर ब्याज	4.5%	4-6%
प्रति व्यक्ति आय	11,535 रु.	88,500 रु.
आयकर छूट सीमा	22,000 रु.	2.5 लाख रु.

आईएमएफ ने रिफॉर्म में सुस्ती को लेकर भारत को चेताया

बीजिंग| आईएमएफ ने चेताया है कि कंपनियों-बैंकों की कमजोर बैलेंस शीट, रिफॉर्म में सुस्ती और निर्यात में गिरावट से ग्रोथ पर बुरा असर पड़ सकता है। उसने छह प्रमुख क्षेत्रों ने सुधारों की जरूरत बताई है। एजेंसी ने कुछ दिनों पहले भारत के विकास अनुमान में 0.1% कटौती की थी। उसने कहा था कि चालू वित्त वर्ष में यह 7.4% रहेगी। उसने यह भी कहा है कि इकोनॉमी रिकवरी के रास्ते पर है। कच्चे तेल की कम कीमतों से मदद मिली है। सरकार ने जो सकारात्मक नीतिगत पहल की हैं, उससे भी अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ है। आईएमएफ ने नोट जी-20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की चीन में हुई दो दिवसीय बैठक के बाद जारी नोट में यह टिप्पणी की।

इनमें सुधार जरूरी
- प्रोडक्ट मार्केट
- श्रम बाजार
- इंफ्रास्ट्रक्चर
- बैंकिंग
- लीगल सिस्टम
- प्रॉपर्टी राइट्स

वीकली इकोनॉमी | आर. जगन्नाथन

review

rjagannathan@dbcorp.in

25 साल बाद भी भारत में बिजनेस करना मुश्किल

भारत में 25 साल पहले 1991 के जुलाई में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बाकी दुनिया के लिए खोला था। लाइसेंस-परमिट राज की व्यवस्था खत्म की थी और लालफीताशाही-नौकरशाही को कम किया था। तब से अब तक एक-दो साल को छोड़कर (जब खराब मानसून और वैश्विक समस्याओं ने मुश्किलें खड़ी कीं) देश की अर्थव्यवस्था 5-6 फीसदी से अधिक रफ्तार से बढ़ी है।

लेकिन इस उदारीकरण का श्रेय सिर्फ दो व्यक्तियों को देना उचित नहीं होगा। मनमोहन सिंह ने 1991 में जो अपना पहला बजट पेश किया था, उसके कई प्रस्ताव ऐसे से थे जिनका खाका यशवंत सिन्हा तैयार कर चुके थे। सिन्हा वीपी सिंह सरकार गिरने के बाद चंद्रशेखर सरकार में कुछ महीनों के लिए वित्त मंत्री रहे थे। इस उदारीकरण का असली श्रेय तो देश के सामने उभरे आर्थिक संकट को जाता है। उस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दो हफ्ते आयात करने के लायक शेष रह गया था। महंगाई दर दो अंक में पहुंच गई थी। बजट घाटा काफी बढ़ चुका था और देश की आर्थिक साख को खतरा पैदा हो गया था। इस संकट के कारण ही समाजवादी विचारधारा वाले नेता रहे नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह उदारवादी बनने पर मजबूर हुए थे।

फिर भी यह दावा करना गलत होगा कि उदारीकरण सिर्फ 1991 में हुआ। वस्तुतः यह अधूरा उदारीकरण था। हमने तब से अब तक बीते 25 साल के दौरान नियमित तौर पर आर्थिक सुधार होते देखे हैं। यह सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म सभी सरकारों ने किए। इसमें कोई भी सरकार अपवाद नहीं रही। नरसिम्हा राव सरकार के बाद आई संयुक्त मोर्चा सरकार ने ड्रीम बजट दिया। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार ने सरकारी कंपनियों का पहला बड़ा निजीकरण किया। यह नया बिजली कानून भी लेकर आई जिसने बिजली खरीदने वालों को अपना सप्लायर चुनने की आजादी दी। वाजपेयी सरकार ने देश को स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना भी दी। यूपीए सरकार ने घोटालों-भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच 'आधार' यूनिक आईडी परियोजना शुरू की, जिसके माध्यम से अब नरेंद्र मोदी सरकार सब्सिडी सही लाभार्थियों तक पहुंचा रही है। संक्षेप में कहें तो कोई भी सरकार उदारीकरण के खिलाफ नहीं रही। हालांकि इनकी रफ्तार जरूर कम-ज्यादा होती रही।

हालांकि 1991 को एक ऐतिहासिक वर्ष के रूप में देखा गया, लेकिन असल उदारीकरण तो लंबे समय में ही हुआ है। उदारीकरण का मतलब अर्थव्यस्था को बाकी दुनिया के लिए खोलना ही नहीं, बल्कि इसे ज्यादा मार्केट ओरिएंटेड बनाना भी है। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आसान और साफ-सुथरे नियम-कायदे हों, जहां प्रक्रियाएं पारदर्शी हों, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके टैक्स कानूनों के बारे में पहले से अनुमान लगाया जा सके, आदि। मसलन, दूरसंचार क्षेत्र को 1994 में खोला गया, निजी क्षेत्र की कंपनियों ने विभिन्न सर्किलों के लिए बोली लगाई। बोलियां इतनी ऊंची लगीं कि नियमों में बदलाव के लिए ताकतवर पूंजीपतियों ने अपने प्रभाव का खूब इस्तेमाल किया। वे कंपनियां जिन्होंने कई सर्किल में ऊंची बोलियां लगाई थीं, वे कितने सर्किल में बोली जीत सकती हैं इसकी कृत्रिम सीमा तय कर उन्हें बोली से बचने की अनुमति दी गई। इससे इन कंपनियों को उन सर्किल की बोली से हाथ खींचने का मौका मिल गया जो लाभप्रदता के लिहाज से सबसे ज्यादा अव्यावहारिक थीं।

दूरसंचार क्षेत्र को खोलने की शुरुआत 1994 में हुई थी और 1991-2001 के बीच इसमें नीतिगत बदलाव की जरूरत थी। इससे आगे बदलाव की जरूरत उस समय थी जब ए राजा ने स्पेक्ट्रम घोटाले को अंजाम दिया। बीते पांच साल में ही हमें दूरसंचार नीलामी की साफ-सुथरी और प्रभावी व्यवस्था देखने को मिली है। इसी तरह कोयला क्षेत्र को वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में खोला गया था। लेकिन खदान नीलामी की पारदर्शी व्यवस्था 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ज्यादातर खदानों के लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद ही बन पाई। यह वे लाइसेंस थे जो यूपीए सरकार के कार्यकाल में बांटे गए थे।

उदारीकरण से उम्मीद थी कि इससे देश में भ्रष्टाचार और लाइसेंस राज खत्म होगा, लेकिन हुआ यह कि यही भ्रष्टाचार लाइसेंस से नीति पर शिफ्ट हो गया और नियामकों पर बड़े उद्योगों का कब्जा हो गया। उदारीकरण से उम्मीद थी कि इससे भारत में कारोबार करना आसान होगा, लेकिन अब भी भारत, वर्ल्ड बैंक की 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग-2016' में 189 देशों में 130वीं पायदान पर बना हुआ है। अभी काफी काम करना बाकी है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जो उदारीकरण से अछूते हैं। मसलन, भूमि और श्रम बाजार अब भी मुक्त नहीं हैं। भूमि बाजार ऐसा ही एक क्षेत्र है जिसका उदारीकरण नहीं हुआ है। यूपीए तो जमीन की बाजार दर से चार गुना कीमत दिलवाने के लिए एक कानून लेकर आई जो मुक्त बाजार (फ्री मार्केट) की अवधारणा के खिलाफ है। श्रम बाजार भी काफी सख्त है। ज्यादातर कंपनियां अतिरिक्त श्रमिकों को निकाल नहीं सकतीं। कुछ एक बड़ी कंपनियां ही ऐसी हैं जो भर्ती करना चाहती हैं।

यूपीए के कार्यकाल में रसोई गैस की सब्सिडी फर्जी लाभार्थियों के कारण काफी बढ़ गई थी। मोदी सरकार ने यह सब्सिडी फर्जी लोगों के हाथों में न पहुंचे, इसके लिए इसका भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम से शुरू किया है। इस तरह सब्सिडी रिफॉर्म की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन 1991 से शुरू हुए उदारीकरण का अभी काफी रास्ता तय करना बाकी है। उदारीकरण, कोई घटना या मुकाम नहीं, यह एक यात्रा है।

- लेखक आर्थिक मामलों के वरिष्ठ पत्रकार, 'डीएनए' के एडिटर रह चुके हैं।

Date: 25-07-16

करगिल में पुनर्जन्म, जानी जिंदगी की कीमत

मेजर डीपी सिंह

पिछले पखवाड़े मैंने अपना मृत्यु व जन्मदिवस या कहें कि पुनर्जन्म दिवस मनाया। मैं 43 साल का हूं, लेकिन मैंने जिंदगी के 16 साल कुछ दिन पूर्व ही पूरे किए। आश्चर्य हुआ न? हर कोई जानता है कि मृत्यु जीवन का अंतिम व अकेला सत्य है, लेकिन फिर भी वह इससे डरता है। वास्तव में खोने का अहसास हमें डराता है। हमें दुनिया की चीजों से इतना लगाव है कि उन्हें खोने की कल्पना मात्र से हम कांपने लगते हैं। सबसे ज्यादा तो हमें अपने कम्फर्ट जोन से इतना प्यार है कि इसमें किसी गड़बड़ी का ख्याल ही हमें विचलित कर देता है। हमारे रूटीन में थोड़ी भी गड़बड़ी हो जाए तो जिंदगी उलट-पुलट हो जाती है।

15 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय (करगिल युद्ध) के दौरान मैं शत्रु की भारी गोलीबारी के निशाने पर आ गया और अत्यधिक जख्मी हो गया। युद्ध क्षेत्र के करीब के अस्पताल दूरदराज के ग्रामीण अस्पतालों से बेहतर नहीं होते। अखनूर में नियंत्रण रेखा से ढाई घंटे की दूरी पर मौजूद छोटे से अस्पताल में सिर्फ एक युवा डॉक्टर था। उसने मुझे 'अस्पताल लाने के पहले मृत' घोषित कर दिया। मेरी किस्मत थी कि एक सीनियर डॉक्टर दौरे पर थे और उनकी कोशिशों से मेरे शरीर में जिंदगी लौटी। वहां से नई जिंदगी शुरू हुई। तब से हर 15 जुलाई को मैं अपना मृत्यु व जन्म दिवस मनाता हूं। मेरी दूसरी जिंदगी के ये 16 साल कुल 43 साल की पूरी जिंदगी से ज्यादा संतुष्टि देने वाले हैं। एक बच्चे की तरह जिंदगी की शुरुआत थी, लेकिन यात्रा किसी बच्चे से भी कठिन थी, क्योंकि यहां कोई हाथ थामकर चलना सिखाने वाला नहीं था। जीवन के प्रति सही रवैया सीखना था। उसका वास्तविक मूल्य समझना था।

मैं न सिर्फ जख्मों से उबरा, बल्कि 2009 में कृत्रिम पैर के सहारे 21 किमी हॉफ मैराथन दौड़कर इतिहास बना दिया। देश में मेरे पहले किसी ने यह नहीं किया था। फिर मेरे जैसे ही अंग-भंग हो चुके लोगों का समूह 'द चैलेंजिंग वन्स' बनाया। आज इसमें 1000 लोग है और अपंग होने की मानसिकता से मुक्त होकर मैराथन में भाग ले रहे हैं। ये स्वस्थ शरीर वालों

के लिए भी प्रेरणा बन गए हैं। एक संकल्प ने मुझे मेरे दूसरे जीवन का लक्ष्य हासिल करने में मदद की। वह संकल्प था कि मैं कभी अपने जीवनस्तर से समझौता नहीं करूंगा और कभी आसान रास्ते को सही रास्ते पर तरजीह नहीं दूंगा।

हम सब जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। किंतु कम्फर्ट जोन यानी आरामदेह स्थिति खोने के डर से हमारा रुझान सही रास्ते की बजाय आसान रास्ता चुनने की ओर होता है। दूसरों में गलतियां ढूंढ़ते हैं पर उन्हें खुद में नहीं सुधारते। फिर चाहे सड़क पर चिप्स के खाली रैपर फेंकने की बात हो,चलती कार से बाहर पान की ढेर सारी पीक थूकना हो, बच्चे की स्कूल बस पकड़ने के लिए रॉन्ग साइड ड्राइविंग की बात हो या खुद की जिंदगी को धूम्रपान या शराबखोरी के हवाले करने का मामला हो। टीचर के रूप में हम स्कूल में बच्चों के सामने आदर्श पेश नहीं करते, लेकिन बाद में कॉलेज छात्रों के दुर्व्यवहार से उपजी अराजकता का रोना रोते हैं। जॉगिंग न करके सेहत की अनदेखी करते और 25 की उम्र में ही डायबिटीज या दिल के रोगी बनकर अस्पताल में पहुंच जाते हैं। हम सब सही और आसान राह का फर्क जानते हैं, हम में से कितने आत्म-परीक्षण करते हैं? सही रास्ता हमेशा कठिन होता है पर जिंदगी में मुफ्त कुछ नहीं मिलता और यदि मिलता है तो फिर तिहाड़ जेल में ही शेष जिंदगी का जश्न मनता है।

एक सैनिक को मरने के लिए नहीं, देशसेवा के लिए प्रशिक्षण मिलता है, लेकिन कर्तव्य निभाते हुए वह अपनी जिंदगी की बजाय देश को तरजीह देता है। देश यानी हम सब और यह सरजमीं, भारतमाता। कर्तव्य में वह स्वार्थ आड़े नहीं आने देता। अपने परिवार की परवाह नहीं करता। जानता है कि उसकी मौत के बाद उसकी जवाबदारियां कोई नहीं निभाएगा। फिर हकों की बात तो भूल ही जाएं, जिनके लिए शायद उसकी मां, पत्नी को अदालतों के दरवाजे खटखटाने पड़े। शायद उन्हें उन्हीं देशवासियों से सम्मान न मिले, जिनकी रक्षा में वह प्राण अर्पण करने चला है। उसे तो एक ही चिंता होती है शत्रु को मातृभूमि पर कदम रखने से रोकने की।

तो क्या ट्रेनिंग के दौरान उसे गीता का उपदेश दिया जाता है? नहीं, उसे सिखाया जाता है कि जिंदगी की छोटी-छोटी नेमतें कैसे कमाई जाती हैं। रूट मार्च में वह सीखता है पानी बचाना, क्योंकि जिंदगी बचाने के लिए उसे केवल एक बोतल पानी दिया जाता है। वह समझता है साइकिल जैसी छोटी-सी चीज पाने की कीमत, क्योंकि कुछ टेस्ट पास करने के बाद ही वह उस पर सवार हो सकता है, तब तक उसे साइकिल हाथ में पकड़े दौड़ना पड़ता है। वह

जिंदगी में शार्टकट न अपनाने का सबक सीखता है। हरे-भरे घास के कालीनों वाले इलाके में रहता है, लेकिन उसे घास के लॉन पर चलने की अनुमति नहीं होती, उसे फुटपाथ से ही जाना पड़ता है। ये छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण और व्यावहारिक रूप से दिए सबक उसे वे मूल्य देते हैं, जो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। इस तरह वह आसान की बजाय सही राह चुनकर हमारी, उसकी मातृभूमि की रक्षा करता है, जो उसकी जिंदगी की बेशकीमती विरासत होती है।

मुझे तब दुख होता है जब मैं देखता हूं कि जिस मातृभूमि और देशवासियों के लिए सैनिक अपनी जान देता है, जिसके लिए मैंने अपना आधा शरीर गंवाया उनकी अच्छी तरह देखभाल नहीं की जा रही है। बल्की वही देशवासी अपनी बेशकीमती जिंदगी और मातृभूमि का शोषण कर रहे हैं। कोई बाहरी शत्रु उन्हें नहीं मार रहा है, बल्कि उनके भीतर मौजूद शत्रु उन्हें मार रहा है। आइए, करगिल विजय दिवस (26 जुलाई) के मौके पर भीतर के शत्रु को मारने का संकल्प लें। वह शत्रु जो आसान की बजाय सही राह चुनने से हमें रोकता है।

आइए, इस हकीकत को स्वीकारें कि हमारे भय के साथ तो हम अपनी जिंदगी तक नहीं बचा सकते। यह तो सीमा पर तैनात सैनिक ही है जो हमें असली स्वतंत्रता, असली लोकतंत्र और सही की बजाय आसान को चुनने का विकल्प देता है। यदि वह वहां पर नहीं है तो मुमकिन है कि किसी दिन हम सांस भी न ले पाएं। वह दृढ़ता से हमेशा कर्तव्य पर खरा उतरेगा। प्रश्न तो यह पूछा जाना चाहिए क्या आप अपने कर्तव्य पर खरे उतरेंगे? अपना ख्याल रखें, अपनी मातृभूमि का ख्याल रखें। यह आपके व आपके बच्चों के हित में है। 'आसान' राह की बजाय 'सही' राह चुनें। यही सैनिक के प्रति सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि होगी। जरा इस पर विचार कीजिएगा। जय हिंद!!!

मेजर डीपी सिंह
कारगिल युद्ध में पैर गंवाने के बाद मैराथन धावक बने। उन्हें भारत का ब्लैड रनर कहा जाता है।

जनसत्ता

Date: 24-07-16

पी. चिदंबरम का कॉलम 'दूसरी खबर' :

भूमि की रक्षा करें, लोगों का भरोसा जीतें

जहां तक जम्मू-कश्मीर के भारत का अभिन्न हिस्सा होने की बात है, ऐसे राजनीतिक और वैधानिक नए विचारों को आजमाने की काफी गुंजाइश है जो जम्मू-कश्मीर के लोगों को आश्वस्त करते हों कि विलय के सिलसिले में हुए शानदार समझौते का भारत सरकार आदर करेगी।

कश्मीर में विरोध-प्रदर्शन लगातार तीसरे सप्ताह जारी हैं। घाटी के कई हिस्सों में कर्फ्यू लागू है। घाटी में रोजाना नई घटनाएं होती हैं। इसीलिए इस बार भी उसी विषय पर लिखने का फैसला किया, जिस पर मैंने अपना पिछला स्तंभ (17 जुलाई, 2016) लिखा था। पिछले सप्ताह संसद में बहस के दौरान अनेक सदस्यों ने स्वीकार किया कि कश्मीर बस एक भूखंड नहीं, कुछ और भी है, जो कि यहां के लोग हैं। इस तरह हमने एक सही बिंदु से शुरुआत की है, लेकिन हमें उसी रास्ते से बंधे नहीं रहना चाहिए जिस पर हम पिछले चालीस वर्षों से घूम-फिर कर चलते रहे हैं।

विषम वितरण

जम्मू व कश्मीर राज्य का 1947 में 'एक शानदार समझौते' के तहत भारत में विलय हुआ। 26 अक्तूबर 1947 को स्वीकार किए गए विलय-पत्र का बुनियादी आधार यह था कि जम्मू-कश्मीर भारत के प्रभुत्व में होगा (बाद में नए संविधान के तहत भारतीय संघ का हिस्सा होगा), एक विशेष विधान के आधार पर, जो विधान भारतीय संघ और जम्मू-कश्मीर के बीच अधिकारों के बंटवारे से संबंधित होगा। संविधान के अनुच्छेद 370 ने, जिसे 1950 में स्वीकार किया गया, इस शानदार समझौते को मूर्त रूप दिया।

एक संघीय व्यवस्था में अधिकारों का विषम वितरण अप्रत्याशित नहीं है, जिसमें एक तरफ केंद्र हो और दूसरी तरफ विभिन्न राज्य। किसी राज्य को विशेष या अतिरिक्त अधिकार हासिल हो सकते हैं। यह गौरतलब है कि इसी सिद्धांत के आधार पर भारत तमिल-बहुल श्रीलंका के उत्तर पूर्वी प्रांतों को अधिकारों के हस्तांतरण की वकालत करता रहा है। हो सकता है नगा मसले पर अंतिम समझौते में इसी सिद्धांत से काम लिया जाए।

कश्मीर घाटी में यह आम धारणा है कि अनुच्छेद 370 के साथ खिलवाड़ होता रहा है और जिस स्वायत्तता का वादा जम्मू-कश्मीर से किया गया था उसमें समय-समय पर कटौती की गई है। 'आजादी' की चीख-पुकार इसी धारणा की प्रतिध्वनि है। उग्रवाद भिन्न चीज है। हम उग्रवाद को साफ-साफ खारिज करते हैं और इसे राज्य-बल से नेस्तनाबूद करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। लेकिन 'आजादी' को उग्रवाद से जोड़ने के पीछे क्या कोई तर्क है? क्या नारा लगाने वाले हर युवा पुरुष या हर युवा स्त्री पर 'राष्ट्र-विरोधी' होने का लेबल लगाने का कोई औचित्य है? क्या हर भाषण या तकरीर को देशद्रोह मानने के पीछे कोई तर्क है?

महान समझौते का सम्मान करें

कोई भी 1947 की तरफ लौटना नहीं चाहता। न तो पिछले पैंसठ सालों में हुई घटनाओं और इस दौरान हुए बदलावों को पलटने की जरूरत है, और न ही उन कानूनों को वापस लेने की आवश्यकता है जिनका दायरा बढ़ा कर उन्हें जम्मू-कश्मीर पर भी लागू किया गया। कई बदलाव जम्मू-कश्मीर के लोगों को सहज ही स्वीकार्य होंगे, क्योंकि ये उनके लिए फायदेमंद हैं। इसी तरह कई कानून भी, क्योंकि वे सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित हैं, और उनकी जगह दूसरे कानून लाए जाएं तो वे भी भिन्न नहीं होंगे।

इसके अलावा, टेक्नोलॉजी आधारित बदलाव अपरिहार्य हैं और कोई भी समझदार व्यक्ति उन्हें मिटाने या पलटने की बात नहीं करेगा। मसलन, दूरसंचार को लें। जम्मू-कश्मीर के लोग इस बात से खुश ही होंगे कि वे शेष भारत से और दुनिया से जुड़े हुए हैं। अन्य उदाहरण हैं रेलवे, हवाई सेवा, बिजली ग्रिड, आधुनिक चिकित्सा सेवा, टीकाकरण कार्यक्रम, कौशल विकास, और वे कानून, जो इन योजनाओं व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के काम आते हैं।

जहां तक जम्मू-कश्मीर के भारत का अभिन्न हिस्सा होने की बात है, ऐसे राजनीतिक और वैधानिक नए विचारों को आजमाने की काफी गुंजाइश है जो जम्मू-कश्मीर के लोगों को आश्वस्त करते हों कि विलय के सिलसिले में हुए शानदार समझौते का भारत सरकार आदर करेगी।

कुछ दूसरे कदम हमें उस जमीन को वापस दिला सकते हैं जो पीडीपी-भाजपा की सरकार बनने के बाद से हम गंवा बैठे हैं। पर इसके लिए साहस की दरकार है- उस तरह के साहस की, जैसा डॉ मनमोहन सिंह ने दिखाया था, जब उन्होंने जनरल मुशर्रफ से बातचीत की, और उस तरह के साहस की, जैसा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिखाया था, जब उन्होंने घोषणा की थी कि 'इंसानियत' के सिद्धांत के तहत बातचीत हो सकती है।

साहस दिखाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 में भारी जनादेश मिला। उनकी सरकार को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत हासिल है। वे स्वतंत्र ढंग से फैसले लेने में सक्षम हैं, अपनी पार्टी या मंत्रिमंडल के मोहताज नहीं हैं। यहां उन कामों की एक छोटी-सी सूची प्रस्तुत है जिन्हें वे कर सकते हैं:

1. सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (अफस्पा) को कई क्षेत्रों से फौरन हटाया जाए।
2. संसद के मौजूदा सत्र में अफस्पा में संशोधन हो। इसके लिए विधेयक का मसविदा तैयार है। अफस्पा को रद्द करने और इसकी जगह एक नया कानून लाने का काम शुरू करें, ऐसा कानून जो सुरक्षा बलों को सीमित दंड-मुक्ति की छूट देता हो।
3. जम्मू-कश्मीर के सभी तबकों के लोगों से मिलने और उनकी राय जानने के लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल वहां भेजें। इस प्रतिनिधिमंडल से 'बहुसंख्यकवादियों' को बाहर रखें।
4. रक्षा मंत्रालय को ऐसी योजना (पंद्रह दिनों के भीतर) बनाने का निर्देश दें, कि जहां तक संभव हो सके नागरिक क्षेत्रों से सैनिकों को वापस बुलाया जाए और सीमा के निकट उनकी फिर से तैनाती हो। उसे एक दूसरी भी योजना (तीस दिनों के भीतर) बनाने का निर्देश दें कि जम्मू-कश्मीर के दूरदराज के क्षेत्रों में सेना की तैनाती कैसे धीरे-धीरे घटाई जाए।
5. कानून-व्यवस्था बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार तथा जम्मू-कश्मीर पुलिस को सौंपी जाए। सुरक्षा बलों की तैनाती से संबंधित मानक प्रक्रियाओं की समीक्षा हो और खामियां दूर की जाएं।

7. वार्ताकारों के समूह की रिपोर्ट की सुध ली जाए। दिलीप पडगांवकर को (तीस दिनों के भीतर) उसे ताजातरीन बनाने के लिए कहा जाए। सिफारिशों पर अमल के लिए एक उच्चाधिकार-प्राप्त समूह का गठन हो।

8. इसके अलावा, ऐसा कोई भी कदम जो प्रधानमंत्री को लगता हो कि उससे न सिर्फ जम्मू-कश्मीर की भूमि की रक्षा होगी बल्कि वहां के लोगों का दिल भी जीता जा सकेगा।

हमें लंबा सफर तय करना है और हमें आज से ही शुरुआत करनी चाहिए।